

कार्यालय प्रधान प्रबन्धक  
उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम  
परिवहन भवन, लखनऊ।

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

पत्र संख्या 789 सीएनटी/259 एफए/69  
सेवा में,

दिनांक: लखनऊ: माई 4, 1981

- 1- समस्त उप प्रधान प्रबन्धक (संयुक्त),  
उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम।
- 2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम।
- 3- समस्त सहायक क्षेत्रीय लेखा अधिकारी,  
उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम।
- 4- समस्त क्षेत्रीय लेखा अधिकारी,  
उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम।
- 5- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम।
- 6- समस्त डिपो मैनेजर,  
उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम।
- 7- मुख्यालय के समस्त अधिकारी। अधक एवं प्रधान प्रबन्धक महोदय को छोड़कर।  
उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम।

विषय :- राज्य सड़क एवं लोक सभा के उत्तर प्रदेश से जुने गये माननीय सदस्यों को उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें में प्रदान निःशुल्क यात्रा सुविधा के अतिरिक्त यात्री-कर यात्री-कर पर बीमा अधिभार आदि से छूट तथा उक्त संसद सदस्यों के साथ एक सहवर्ती को भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या ए०ओ०३६५/सी०-३-८१ दिनांक २-४-८१ की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि :-

- 1- उत्तर प्रदेश से निर्वाचित लोक सभा एवं राज्य सभा के माननीय सदस्यों से परिवहन निगम को बनने में यात्रा करने नम्य अब यात्री-कर यात्री कर पर बीमा अधिभार आदि की वसूली नहीं की जायेगी।
  - 2- उक्त संसद सदस्यों के साथ एक सहवर्ती को भी परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जायेगी। सहयात्री के बत का किराया नहीं लिया जायेगा किन्तु यात्री कर नरवार्य बीमाकर एवं अन्य करों। यदि कोई हो। का नकद भुगतान यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व प्राप्त कर नैना अनिवार्य होगा।
  - 3- माननीय संसद सदस्यों के साथ सहवर्ती-घटारा की गयी निःशुल्क यात्रा सुविधा से संबंधित एक विवरण पत्र प्रत्येक माह मुख्यालय को उती तरह प्रेषित किया जायेगा जिस तरह विधायकों के साथ सहवर्ती घटारा की गयी यात्रा का विवरण पत्र प्रत्येक माह मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है ताकि उती आधार पर किराये की धनराशि का संकलन करके बिल भुगतान हेतु शासन को प्रेषित किया जा सके।
- कृपया परिवहन निगम के कार्यवाहियों विशेषतः चालकों एवं परिचालकों को निर्देशित कर दिया कि वह माननीय संसद सदस्यों एवं उनके सहयात्री के साथ निःशुल्क एवं नम्र व्यवहार करें। कृपया तदनुसार तुरन्त कार्यवाही करने हेतु अपने समस्त अधिकारियों, चालकों, परिचालकों एवं बुकिंग कर्मकों को निर्देश प्रसारित कर दें ताकि माननीय संसद सदस्यों को निगम की बसों में यात्रा करते समय कोई अतुविधा न हो।
- कृपया पत्र की प्रतिलिपि आपकी डाक में स्वीकार करें।

संलग्नक:- उपरोक्त (संलग्नक संख्या २२२)

प्रबन्धक,  
उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम।  
अतिरिक्त प्रधान प्रबन्धक

पत्र. के. प्रसाद